तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./6695/2001/पाली रूपी देवी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, मृतक अपीलार्थी के वारिसान की ओर से

श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3

श्री खुर्शीद अनवर, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं01

निर्णय

दिनांक 01.07.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या–74/1999 बउनवानी श्रीमती रूपीदेवी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31–07–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, पाली द्वारा खातेदार जवाहरलाल के देहान्त उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1481 दिनांक 13–11–1996 फूलवन्ती बेवा जवाहरलाल के पक्ष में स्वीकृत किया। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलार्थी श्रीमती रूपीदेवी ने जिला कलक्टर, पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–7–2001 से प्राथमिक आपत्ति दिनांक 24–7–2001 को स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में लम्बित वाद की डिक्री अनुसार की जाने का आदेश पारित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी जवाहरलाल के नाम थी और उसका देहान्त होने पर उसकी पत्नी ने विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1481 दिनांक 13–11–1996 से अपने नाम करवा लिया जबकि अपीलार्थी रूपीदेवी प्रथम श्रेणी की वारिस थी और इस सम्बन्ध में वाद भी अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पाली के यहां किया है, जो उपखण्ड अधिकारी बाली में विचाराधीन है। कलक्टर पाली ने दिनांक 31–7–2021 को वाद के लम्बित रहते अपील खारिज कर दी जबकि नामान्तरकरण को स्थगित किया जाना चाहिए था। न्यायालय अभिवचनों से बाहर नहीं जा सकता। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल नहीं की गयी तो अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./6695/2001/पाली रूपी देवी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व्यक्तियों को बैचान होता रहेगा। इसलिए अपील स्वीकार कर तहसीलदार, पाली का आदेश दिनांक 13–6–1996 और जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 31–7–2001 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का तर्क है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के यहां वाद चल रहा है और जैसा वाद में अन्तिम रूप से निर्णीत होगा, उसी अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही अन्तिम होगी। नामान्तरकरण व उसकी अपील समरी प्रोसिडिंग्स में आती है जबकि वाद एक नियमित कार्यवाही है। वास्तव में यह जमीन अप्रार्थी गुणवती को बैचान करने पर उसके नाम दर्ज हो चुकी है और जब तक उक्त विक्रयपत्र और नामान्तरकरण दावे में निरस्त नहीं हो जाता तब तक नामान्तकरण नहीं हटाया जा सकता और दावे के निर्णय के आधार पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर प्रयोग नहीं किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण यह तथ्य निर्विवाद है कि दोनों पक्षों के मध्य राजस्व वाद लम्बित है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7–11–2017 से इस वाद की तनकी संख्या–10 में दिये गये निष्कर्ष को अपास्त करते हुए सभी तनकीयात पर निर्णय करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया हुआ है और दौराने बहस दोनों पक्ष वाद लम्बित होना मानते है और स्वीकृत रूप से यह तथ्य भी है कि जमाबन्दी में बैचान के आधार पर गुणवती के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में समरी प्रोसिडिंग्स के दौरान नामान्तकरण निरस्त किया जाना विधिसम्मत् नहीं है और मूल वाद में जो निर्णय होगा, उसी अनुसार तहसीलदार आगे कार्यवाही कर सकेगा।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./6695/2001/पाली रूपी देवी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए